रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2003/वैशाख 15, 1925
No. 210] NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2003/VAISAKHA 15, 1925

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2003

सा.का.नि. 381(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमाशुल्क विभाग पद भर्ती नियम, 1979 और सीमाशुल्क विभाग (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 1979 जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, और इलेक्ट्रानिक आँकड़े प्रक्रिया विधा (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1992 जहां तक उनका संबंध आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' पद से है को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, में कर सहायक (समूह 'ग') के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग कर सहायक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. विशेष उपबंध,-

(1) जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर होगा ।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी आयुक्तालय पर अधिकारिता रखने वाला संबद्ध मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे तक उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके यह आदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, आयुक्तालय या निदेशालय का कोई पद ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा भरा जाए जो समान या समतुल्य पद धारण करते हैं, किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन, यथास्थिति, किसी अन्य विभाग या आयुक्तालय या निदेशालय या कार्यालय के काडर में है ।

4. आरंभिक गठन : (1) इन नियमों के आरंभ पर अपर श्रेणी लिपिक और आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी क पद धारण किए हुए व्यक्ति इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के पूर्व आरंभ पद क्रमशः ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई सेवा प्रोन्नति इत्यादि के उद्देश्य के लिए कर सहायक के पद पर नियमित रूप से की गई सेवा हिसाब में ली जाएगी ।

(2) इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी क का पद धारण करने वाला व्यक्ति, कर सहायक के रूप में ऐसी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा उर्तीण करेगा, जिसके न हो सकने पर वह आगे कोई वेतनवृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए है और इन नियमों के आरंभ पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित ज्येष्ठता सूची कि भीतर आ जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उर्तीण करने पर, ऐसी परीक्षा उर्तीण करने की तारीख से ही कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा ।

(4) उच्च श्रेणी लिपिकों और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' सामुहिक रूप से ज्येष्ठ होंगे और उनका पारस्परिक स्थापन उनकी अपनी श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार इस शर्त के अध्ययधीन होगा कि उनका अपनी अपनी श्रेणी में पारस्परिक स्थापन में छेड़छाड़ नहीं होगी ।

(5) अवर श्रेणी लिपिक को उच्च श्रेणी लिपिक और आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी क से नीचे रखा जाएगा ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यंक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले घए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. कर सहायक	5525* (2003) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20-27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में कम से कम स्नातक की शैक्षिक अर्हता । (ii) आंकड़ा प्रविष्टि में प्रतिघंटा 8000 कुंजी अवनयन की गति रखता हो ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
11	12
(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :- ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और प्रधान हवलदार में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात् :- (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य योग्यता, और (ख) आंकड़ा प्रविष्टि करने में प्रतिघंटा 5000 कुंजी अवनयन की गति और क्रमशः हिन्दी या अंग्रेजी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति के ज्ञान के साथ विभागीय परीक्षा उतीर्ण की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- (1) एकल आयुक्तालय इत्यादि जिसमें सामान्य काडर नहीं है (i) मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम अपर आयुक्त - अध्यक्ष (ii) अपर/ संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर/संयुक्त आयुक्त	लागू नहीं होता

(मुख्यालय) जो विभागीय प्रोन्नति समिति बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क के अपर आयुक्त - सदस्य (iv) आयकर के उप/सहायक आयुक्त - सदस्य टिप्पण—जहां उक्त क्रम सं. (i) से (iv) तक में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है, वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति में सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । (2) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् जिसमें दो या अधिक आयुक्तालय और जिनका सामान्य काडर हो (i) प्रत्येक आयुक्तालय से ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (उनमें से जो भी ज्येष्ठतम हो) - अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रण आयुक्तालय का अपर/ संयुक्त आयुक्त मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) विभागीय प्रोन्नति समिति बैठक के समय जो भी उपलब्ध हो - सदस्य (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क के अपर/संयुक्त आयुक्त - सदस्य (iv) आयकर के उप/सहायक आयुक्त - सदस्य टिप्पण—जहां उक्त क्रम सं. (i) से (iv) तक में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है, वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति में सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।	

[फा. सं. ए-12018/13/2002-एडी. III (बी)]

वाई. पी. वशिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2003

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department (Group C) posts Recruitment Rules, 1979 and Customs Department (Group C) posts Recruitment Rules 1979, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, and the Electronic Data Processing Discipline (Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 1992, in so far as they relate to the post of Data Entry Operator Grade 'A', except as respect things done or omitted to be done before the supersession of the said rules, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tax Assistant (Group 'C') in the Central Excise and Customs Department in the Ministry of Finance and Company Affairs, namely:

1. Short title and commencement .- (1)These rules may be called Central Excise and Customs Department Tax Assistant (Group C post) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Special Provision.- (1) Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless other wise directed by the Central Board of Excise and Customs;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1) the Chief Commissioner of Central Excise or Chief Commissioner of Customs having jurisdiction over the concerned Commissionerate may, if he considers to be necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such condition as he may specify having regard to the circumstances of the case and for the reasons to be recorded in writing, orders any post in the Commissionerate or Directorate, as the case may be, to be filled by absorption of persons holding the same or comparable posts but belonging to the cadre of another Commissionerate or Directorate or any other office under Central Board of Excise and Customs, as the case may be.

4. Initial constitution.- (1) The person appointed on regular basis and holding the post of Upper Division Clerk and Data Entry Operator Grade A on the commencement of these rules shall deemed to have been appointed as Tax Assistant under these rules and the service rendered by such persons in the respective posts before commencement

of these rules shall be taken into account as regular service rendered on the post of Tax Assistant for the purpose of promotion etc.

(2) The person holding the post of Data Entry Operator Grade-A appointed under these rules as Tax Assistant shall, within two years from the date of such appointment as Tax Assistant, pass the Departmental Examination as conducted by the competent authority, failing which he shall not be entitled to get any further increment.

(3) Any person, who holds a post of Lower Division Clerk on regular basis and falls within the seniority list as determined by the appointing authority at the commencement of these rules shall, on passing the Departmental Computer Proficiency examination conducted by the appointing authority, be deemed to have been promoted with effect from date of passing such examination on the post of Tax Assistant

(4) The Upper Division Clerks and Data Entry Operator Grade-A shall be placed en-block senior and, their inter se placement shall be fixed in accordance with the date of regular appointment to the respective grade subject to the condition that their inter se placement in the respective grade shall not be disturbed.

(5) Lower Division Clerks shall be placed below Upper Division Clerks and Data Entry Operator Grade-A.

5. Method of recruitment, age limits, other qualification, etc .- The method of recruitment, age limits, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. Disqualification.- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tax Assistant	5525 (2003)* *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable .	Not applicable.	20-27 years (relaxable up to 35 years for Government Servant in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Sipti district and Pargi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep)	(i) Minimum educational qualification of Graduation in any discipline from any recognized University; (ii) Should possess a Data Entry Speed of 8000 key depression per hour	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Two years for direct recruits	(i) 90% by direct recruitment (ii) 10% by promotion	Promotion: From amongst the Lower Division Clerks and Head Havaldars who have rendered seven years of service in the Grade on regular basis and possess the following qualifications; namely:- (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognized institution, and (b) Data Entry Speed of 5000 key depression per hour and passed the Departmental examination with knowledge of typing in Hindi or English at a speed of 25 wpm and 30 wpm respectively	Group 'C' Departmental Promotion Committee: (I)Single Commissionerate i.e. having no common cadre (i)The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office – **Chairman** (ii)The Additional/Joint Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Additional/Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – **Member** (iii) Additional Commissioner of Central Excise/Customs- **Member** (iv)Deputy/Assistant Commissioner of Income-Tax – **Member** **Note**:Where none of the member at serial No. (i) to (iv) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. (II)Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre:- (i)The Senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them would be the **Chairman** (ii)The Additional/Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional/Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – **Member** (iii) Additional/Joint Commissioner of Central Excise/Customs- **Member** (iv)Deputy/Assistant Commissioner of Income-Tax – **Member** **Note:** Where none of the member at serial No. (i) to (iv) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable

[F. No. A-12018/13/2002-Ad. III(B)]

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1258 GI/03-2